

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

अन्योन्य

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

---

सं० ५५] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च ९, १९७२/फल्गुन १९, १८९३

No. 55] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 9, 1972/PHALGUNA 19, 1893

---

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation

---

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICES

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 9th March 1972

SUBJECT:—*Information regarding exports to Yugoslavia*

No. 2-ETC(PN)/72.—The Government of India and Yugoslavia have decided to introduce convertible currency payment system in their trade exchanges with effect from 1st January, 1973 as the existing bilateral trade and payments agreement between them will expire on 31st December, 1972.

2. As 1972 is the terminal year for rupee payment arrangement and as trade between the two countries this year is required to be balanced, exporters of Indian goods to Yugoslavia are required to have their contracts registered with immediate effect with the Officer on Special Duty (Yugoslavia) Ministry of Foreign Trade.

Udyog Bhavan, New Delhi. While doing so, exporters are required to furnish, in duplicate, the following information in addition to a copy of the contract:

- (a) Names and addresses of Yugoslavia importers
- (b) Contract numbers and dates
- (c) Delivery schedules.
- (d) Indian port from which shipment is to be effected for export.
- (e) Commodity and value thereof involved in each shipment; and
- (f) Names of Yugoslav ports to which shipment is to be booked for export.

3. Exporters are advised to note that all outstanding as well as new contracts with Yugoslavia parties must have prior approval of the Ministry of Foreign Trade as otherwise no contract will be regarded as valid to enable them to effect shipment to Yugoslavia.

4. It shall be necessary for all exporters not only to conclude contracts but also to ensure that shipments are completed by 15th December, 1972 and payments against them are received by 31st December, 1972 latest, as thereafter no portion of unimplemented contract, if any, will be considered as valid for payment in Indian rupees.

5. Exporters are further advised to intimate to the Officer on Special Duty (Yugoslavia), Ministry of Foreign Trade as soon as shipments from India take place.

M. M. SEN,

Chief Controller of Imports & Exports.

### विदेश व्यापार मंत्रालय

#### सार्वजनिक सूचना

#### निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 9 मार्च, 1972

विषय : यूगोस्लाविया को निर्यात करने के संबंध में सूचना ।

संख्या 2-ई०डी०सी० (पी०एन०)/72--भारत तथा यूगोस्लाविया की सरकारों ने अपने व्यापार विनियम के लिए परिवर्तनीय मुद्रा भुगतान पद्धति 1-1-73 से लागू करने का निश्चय किया है, क्योंकि दोनों के बीच की वर्तमान द्विपक्षीय व्यापार तथा भुगतान व्यवस्था 31-12-72 को समाप्त हो जाएगी ।

2. चूंकि रूपरेखा में भुगतान व्यवस्था के लिए 1972 अन्तिम वर्ष है और जोंकि इस वर्ष दोनों देशों के बीच व्यापार को संतुलित करने की जरूरत है, यूगोस्लाविया को भारतीय माल के निर्यातकों से यह अपेक्षा की जाती है कि विशेष कार्य अधिकारी (यूगोस्लाविया) विदेश व्यापार मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली के पास शीघ्रता से अपनी संविदा को पंजीकृत करा दें। जब निर्यातक ऐसा कर रहे हों, तो संविदा की प्रति के अतिरिक्त निम्नलिखित सूचना दो संतियों में भेजना अपेक्षित है ।

(क) यूगोस्लाविया के आयातकों के नाम और पते -

(ख) संविदा की संख्या तथा दिनांक -

(ग) सुपरीची अनुसूची -

(घ) भारत के उम पत्तन का नाम जिससे निर्यात के लिए पोतलदान किया जाना है ।

(ङ) प्रत्येक पोतलदान की पण्य वस्तु तथा उसकी कीमत ।

(च) यूगोस्लाविया के उम पत्तनों का नाम जिनको निर्यात के लिए पोतलदान बुक किया जाता है ।

3. निर्यातको को सलाह दी जाती है कि यूगोस्लाव पार्टियों के साथ की गई सभी बाकी और नई संविदाओं के लिए विदेश व्यापार मंत्रालय में पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है क्योंकि अन्यथा की गई संविदा यूगोस्लाविया के लिए पोतलदान को प्रभावित करने के लिए मेक्षम बनाने में वैध नहीं होगी।

4. सभी निर्यातको के लिए केवल संविदाएं समाप्त करना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित कर लेना भी होगा की पोतलदान 15-12-72 तक पूर्ण कर लिए गए हैं और उन पोतलदानों के मद्दे भुगतान अधिक से अधिक 31-12-72 तक प्राप्त कर लिए गए हैं क्योंकि इसके पश्चात संविदा का यदि कोई भाग कार्यान्वित किए बिना रह जाएगा तो भारतीय रुपये में भुगतान के लिए वैध नहीं समझा जाएगा।

5. निर्यातकों को यह भी पत्र सूचित किया जाता है कि भारत में पोतलदान होने ही के विशेष कार्य अधिकारी (यूगोस्लाविया), विदेश व्यापार मंत्रालय को सूचित करें।

एम० एन० सेन,

मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात।

